



बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय: 3-डी, ताशकन्द मार्ग,

प्रयागराज-211001 (उ.प्र.) फोन: 7311121885, फैक्स: 0532-2607653

**नीलामी
सूचना**

जबकि, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इलाहाबाद के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI ACT 2002) (54 OF 2002) की धारा 13 (12) के नियम 8 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को नोटिस जारी की गई थी तथा बन्धक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इलाहाबाद के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है के आधार पर" नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त अधिनियम के नियम 8 के उपनियम 6 के अंतर्गत निर्धारित तिथि 20.05.2019 एवं स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 3-डी, ताशकन्द मार्ग, इलाहाबाद और समय प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे के मध्य नीलामी के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

अंतिम तिथि EMD/Document जमा करने के लिए 18.05.2019 सांय 05:00 बजे तक है।

क्र. सं.	खातेदारों/जमानतदारों का नाम एवं पता बकाया धनराशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	निर्धारित आरक्षित मूल्य/अग्रिम धनराशि (रु.)
1.	ऋणी: श्री बबूराम पाल जमानतकर्ता: (1) श्री स्वामीनाथ द्विवेदी (2) श्री रामलाल कुल बकाया राशि रु. 1,81,132/- + ब्याज एवं अन्य खर्चें। शाखा: रामपुर	सभी सम्पत्ति एवं उसके भाग आराजी सं. 137 जोकि ग्राम-चनैनी, पोस्ट-अरैल, तहसील-करछना, जिला-प्रयागराज में स्थित है। चौहद्दी: पूरब: रिक्त भूमि, पश्चिम: रिक्त भूमि एवं चक रोड, उत्तर: राम पाल का मकान, दक्षिण: बनवारी लाल का खेत।	रु. 4,46,000/- रु. 44,600/-
2.	ऋणी: श्री महेश चन्द्र केसरवानी जमानतकर्ता: (1) श्री लाल चन्द्र केसरवानी (2) श्री अम्बरेश चन्द्र केसरवानी। कुल बकाया राशि रु. 2,91,330/- + ब्याज एवं अन्य खर्चें। शाखा: सिकन्दरा	सभी सम्पत्ति एवं उसके भाग आराजी सं. 148 जोकि ग्राम एवं पोस्ट: सिकन्दरा, तहसील-फूलपुर, जिला-प्रयागराज में स्थित है। चौहद्दी: पूरब: बैजनाथ मौर्या का खेत, पश्चिम: बहरिया-सिकन्दरा रोड, उत्तर: मोहम्मद शीबू का मकान, दक्षिण: प्यारे लाल गुप्ता का मकान।	रु. 12,30,000/- रु. 1,23,000/-
3.	ऋणी: श्रीमती मीरा देवी जमानतकर्ता: (1) श्री राकेश कुमार जायसवाल (2) श्री कमलेश कुमार पाण्डेय। कुल बकाया राशि रु. 5,97,488/- + ब्याज एवं अन्य खर्चें। शाखा: तेलियरगंज	सभी सम्पत्ति एवं उसके भाग मकान सं. 52/64, पूरावल्दी कीडगंज, तहसील-सदर, जिला-प्रयागराज में स्थित है। चौहद्दी: पूरब: गली, पश्चिम: श्रीवास्तव जी का मकान, उत्तर: 64/51 छोटे लाल निसाद का मकान, दक्षिण: सुनील केसरवानी का मकान।	रु. 14,00,000/- रु. 1,40,000/-
4.	ऋणी: श्री मुस्ताज हुसैन जमानतकर्ता: (1) श्री मोहन लाल (2) श्री चिन्तामनी। कुल बकाया राशि रु. 3,42,360/- + ब्याज एवं अन्य खर्चें। शाखा: मुख्य शाखा	सभी सम्पत्ति एवं उसके भाग मकान संख्या बी-668/5, करौली स्कीम, जीटीबी नगर, तहसील-सदर, जिला-प्रयागराज में स्थित है। चौहद्दी: पूरब: इडब्ल्यूएस मकान संख्या बी-668/4 (शाहिद हुसैन), पश्चिम: इडब्ल्यूएस मकान संख्या बी-668/6 (जुबेर), उत्तर: सड़क, दक्षिण: इडब्ल्यूएस मकान संख्या बी-666/7 (सईद अहमद)।	रु. 14,63,000/- रु. 1,46,300/-
5.	ऋणी: मेसर्स राज कॉपी सेन्टर प्रोप. राजेश कुमार जायसवाल जमानतकर्ता: (1) श्रीमती शशी प्रभा (2) मोहम्मद मुस्तफा। कुल बकाया राशि रु. 1,97,947/- + ब्याज एवं अन्य खर्चें। शाखा: मुख्य शाखा	सभी सम्पत्ति एवं उसके भाग प्लाट संख्या 100/115, नखासकोना, तहसील-सदर, जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौहद्दी: पूरब: उसी मकान का भाग, पश्चिम: अफसर लिफाफा वाले का मकान, उत्तर: सड़क, दक्षिण: यादगार हुसैन स्कूल।	रु. 24,35,000/- रु. 2,43,500/-

नीलामी की तिथि एवं समय - 20.05.2019 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 01:00 बजे, नीलामी का स्थान: बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, 3 डी ताशकन्द मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिये कृपया बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सेक्योरिटी क्रेडिटोर के वेबसाइट (<https://www.barodagraminbank.com>) का अवलोकन करें।

नियम व शर्तें :- (1) यह नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है के आधार पर" हो रही है। (2) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास तक नीलामी की जा रही सम्पत्तियाँ भारमुक्त हैं फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतंत्र रूप से सभी भार, टाइटिल, क्लेम, देयताओं आदि की स्वयं जांच कर लें। सभी सम्पत्तियाँ सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय/अन्य पक्षकार के क्लेम, अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। (3) यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें, वे नीलामी तिथि के पहले सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए निविदाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद से संपर्क कर सकते हैं। (4) इच्छुक बोलीदाता बिड धनराशि का 10 प्रतिशत धरोहर राशि बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में प्रयागराज में देय हो, एक सील बंद लिफाफे में जमा करना होगा। प्रस्ताव दिनांक 18.05.2019 को सांय 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेगे एवं उसे नीलामी तिथि को अपराह्न 02:00 बजे खोला जायेगा। (5) सफल बोलीकर्ता की EMD राशि बैंक के पास ही रहेगी तथा सभी असफल नीलामीकर्ता की धरोहर राशि बैंक द्वारा बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। (6) सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत EMD राशि के अतिरिक्त उसी दिन तुरन्त जमा करना होगा। शेष धनराशि उसे 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना सूचना के जब्त कर ली जायेगी। (7) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त/स्थगित करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। (8) सफल बोलीदाता को नियम के अनुसार सभी चार्ज/फीस जैसे स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क इत्यादि का वहन स्वयं करना होगा। (9) प्राधिकृत अधिकारी चार्ज, लियेन, ऋणभार, सम्पत्ति कर एवं/या तक सरकारी देयताओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के करों के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस प्रकार के भुगतान के लिये क्रेता उत्तरदायी होगा। यह प्रकाशन नियम प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत 30 दिन की नोटिस है। ऋणियों/जमानतदारों को यह सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पहले बैंक के कुल बकाया राशि तथा अद्यतन ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दें, इसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि की वसूली ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित कर ली जायेगी, यदि कोई हो। (10) यदि नीलामी के निर्धारित तिथि को किसी कारण से सार्वजनिक अवकाश होता है तो नीलामी की कार्यवाही अगले कार्य दिवस में सम्पन्न की जायेगी।